

प्रेषक,

एसोसिएट प्रधान,
संघर्ष समिति,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय शास्त्राधिक शिक्षा परिषद्,
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नईदिल्ली।

शिक्षा (7) अनुबाध

लखनऊ: दिनांक: 19 जुलाई, 2007

विषय :- सेप्ट जौसोफ स्कूल, जौनपुर को सीएस०एस०५० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।


महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का नियम हुआ है कि उत्तर संघर्षित विद्यालय को सीएस०एस०५० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस गान्धी सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- (1) विद्यालय की पंजीकृत सीमान्ती का समय-समय पर नवीनीकरण करना चाहेगा।
- (2) विद्यालय की प्रबंध समिति में विद्या नियंत्रक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुमूलित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे ३०एस०शास्त्राधिक शिक्षा परिषद्/वेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न क्रांतिकारीों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (4) संस्था द्वारा गान्धी सरकार से किसी अनुदान की भौग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय शास्त्राधिक शिक्षा परिषद से भान्धता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेट्रल बोर्ड आफ सेकेन्डरी एज्युकेशन नईदिल्ली/जौसोफ आफ दि ईपिडेंस स्कूल सर्टीफिकेट इनजीनियरेजन नईदिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से ३०एस०शास्त्राधिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त भान्धता तथा गान्धी सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगे।
- (5) संस्था के शीर्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का राजकीय सदायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भूतों से कम वेतनमान तथा अन्य भूते नहीं दिये जायेंगे।

- (6) कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्व सेवा निवृत्ति का ताभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- (7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- (8) विद्यालय का रिकार्ड नियारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
- (9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्णानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त प्रतिवर्धों का यातन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिवर्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अवधा पालन करने में किसी प्रकार की ख़ूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस हो लिया जायेगा ।


 भवदीय,
 (एफओएन० प्रधान)
 संयुक्त सचिव ।


प्रांसंख्य एवं दिनांक तट्टै

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक(पा०),उत्तर प्रदेश,लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संशुक्त शिक्षा निदेशक, वाराणसी ।
- 3- शिक्षा विद्यालय निरीक्षक, जौनपुर ।
- 4- निरीक्षक,आंश्ल भारतीय विद्यालय ल०५०,लखनऊ ।
- 5- प्रबंधक, सेण्ट जोसेफ स्कूल,जौनपुर ।
- 6- मार्ड बुक ।


 आमा से/
 (एफओएन० प्रधान)
 संयुक्त सचिव ।


PRINCIPAL
 St. Joseph Sr. Sec. School (70620),
 Rasmandal, Manik-Chowk, Jaunpur-1


Manager
 St. Joseph Sr. Sec. School (54445)
 Rasmandal Manik Chowk, Jaunpur-1